कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गढ़का की चौकी, करौली–322241,फोन न.07464–297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

दिनांक 04.04.2022

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवस/2022/ 1494

निमित्त –

जेटीओ भारत संचार निगम लिमिटेड
करौली (राज0)

विषयः–BHARATNET PROJECT TO PROVIDE CONNECTIVITY IN Gram Panchayat Gurdah & Badarpur of Karauli District by Govt. of india under Flagship program of Digital India (Proposal No. FP/RJ /OFC / 43321 /2019)

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्रांक 5445 दि. 04.09.2020 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण मे भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय के पत्र कमांक 747 दिनांक 21.07.2020 से सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र द्वारा उक्त जारी की गई सैद्वान्तिक स्वीकृति मे दी गई शर्तो की पूर्ण पालना हेतु आपको अवगत करवाया गया था। जिसकी पालना आप द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है तथा उक्त पत्र में दी गई राशि में संशोधन चाहा गया है। अतः आप द्वारा संदर्भित पत्र में संशोधन उपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना निम्नानुसार की जानी है।

शर्त की **बिन्दु संख्या 2 व 3** के कम में प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि 0.5625 है0 के बदले परिभ्राषित वन भूमि पर 100 पौधो के वृक्षारोपण एव 10 वर्ष के रख–रखाब हेतु 100,800/– रु एक लाख आठ सौ रुपये जमा करवाये जाने है।

शर्त के **बिन्दु संख्या 5** के कम में प्रत्यावर्तन की जाने वाली वन भूमि 0.5625 है0 की दण्डात्मक शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के पत्र कमांक 5–3/2007–एफ सी दिनांक 05.02.2009 एवं भारत सरकार की गाईड लाईन F. No. 11-42/2017-FC date 21 जनवरी 2018 के अनुसार 2,55,728/– दो लाख पचपन हजार सात सो अठाईस रुपये जमा करवाये जाने है।

उक्त राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Onilne Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जावेगी। उक्त राशि जमा कर ई–चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि का बैंक चालान/UTR संख्या /NEFT नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जावे तदोपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

शर्त के **बिन्दु संख्या 8** के कम मे एफ.आर.ए सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना है।

शर्त के **बिन्दु संख्या 10** के कम मे यदि लागू हो तो पर्यावरण (सुरक्षा) एक्ट 1986 के तहत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति मे दी गई शर्तो की पूर्ण पालना की जानी है तथा सभी शर्तो का बचनबद्वता **प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

(सुमित बंसल)
उप वन संरक्षक,
करौली

कमांक/सम/ 1495–97

दिनांक 04.04.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उपमहानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ– 226024
2. अति0 प्रधान मुख्य वन सरक्षक नोडल अधिकारी एफ.सी.ए जयपुर को दि. 01.04.2022 को दिए गए निर्देशो की पलना के कम में।
3. मुख्य वन सरक्षक भरतपुर।

उप वन संरक्षक,
करौली